11/6/25

पत्रा. पेश हुई वकील पार्टी एवं पार्टी अनुपस्थित। पार्टी एवं वकील पार्टी को न्यायालय उपस्थित होने हेतु बार-2 आवाज लगवाई गई तदुपरांत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। चूंकि दावा वादी अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आ0सी0पी0 का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। प्रार्थना पत्र भी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रा. फैसल शुमार हो, नंबर में दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:52:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner